



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022021-225297
CG-DL-E-20022021-225297

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 715]
No. 715]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का. आ. 780(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4071 (अ) तारीख 10 नवम्बर 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 12 नवम्बर 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मंगला कूड आइल पाइपलाइन परियोजनान्तर्गत बाडमेर से पचपदरा (राजस्थान) तक कच्चा तेल परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 02 दिसम्बर 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील : बाडमेर

जिला : बाडमेर

राज्य : राजस्थान

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	नागाणा	389 / 324	00	21	59
		413 / 353 (सरकारी)	00	02	61
		410 / 345	00	01	69
		347	00	00	90
2	काऊ का खेडा	474 / 135	00	02	19
		780 / 122	00	03	81
तहसील : बायतु		जिला : बाडमेर	राज्य : राजस्थान		
1	जोगासर कुआ	612 / 359	00	01	25
		489 / 359	00	02	82
		421 / 336	00	01	94
		576 / 329	00	06	55
2	बांडातालर	501 / 290	00	07	75
		472 / 289	00	07	94
		619 / 588	00	35	51
3	छीतर का पार	482	00	06	48
4	लापला	434	00	01	17
		742 / 510	00	16	55
		741 / 510	00	11	86
5	माहिंगाणी मूढो की ढाणी	421 / 131	00	07	99
		481 / 389	00	07	24
		387	00	01	24
6	सांवलसर	637 / 437	00	03	86
		602 / 358	00	11	31
		601 / 358	00	01	32
7	बायतु चिमनजी	873 / 361	00	03	11
		559	00	01	20
		837	00	04	09
		1208 / 831	00	05	72
8	पदमोणी गोदारो की ढाणी	815 / 737	00	08	43
9	खेमोणी मुढो की ढाणी	863 / 189	00	04	64
		205	00	03	04
तहसील : पचपदरा		जिला : बाडमेर	राज्य : राजस्थान		
1	खट्टु	633 / 330	00	03	10
		301	00	01	37
		298	00	05	07

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	खट्टु (जारी...)	805 / 297	00	01	26
		1053 / 297	00	01	00
		792 / 271	00	06	16
		1133 / 280	00	01	71
		414 / 529	00	08	52
		830 / 415	00	09	05
		438	00	05	61
		461	00	00	80
		खसरा नं. 463 और 776 / 464 के बीच में (सरकारी रास्ता)	00	01	77
		778 / 464	00	02	58
		502	00	04	01
		1020 / 509	00	06	39
2	बडला	159 / 80	00	06	50
		151 / 81	00	06	59
		217 / 17	00	02	12
3	नीम्बली	421 / 280	00	02	12
		471 / 286	00	07	00
		470 / 286	00	22	87
4	बागुण्डी	512 / 31	00	00	50
		127	00	00	50
		368 / 129	00	01	47
		370 / 129	00	07	40
5	आकडली धनसिंह	खसरा नं. 374 / 306 में (सरकारी रास्ता)	00	02	68
6	आकडली बक्सीराम	116 / 79	00	02	45
		121 / 79	00	10	88
	आकडली बक्सीराम	215 / 82	00	08	94
		84	00	43	48
		189 / 84			
		190 / 84			
		191 / 84			
		192 / 84			
		193 / 84			
		294 / 68	00	00	40
		267 / 68	00	33	50
		45	00	23	23
		180 / 49	00	02	55
		304 / 34	00	04	38
		306 / 57	00	13	42
		305 / 57	00	09	51
7	सांभरा	खसरा नं. 28 में (सरकारी अस्फालटेड रोड)	00	03	64

[फा. सं. आर-11025 / 1 / 2019-ओआर-I/ई-31849]

पी. सोमकुमार अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021

S.O. 780(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 4071 (E) Dated 10th November 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 12th November 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Rajasthan for transportation of Crude Oil (Mangala Crude Oil Pipeline) from Barmer to Pachpadra (Rajasthan), a Pipeline should be laid by HPCL Rajasthan Refinery Limited (Rajasthan).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 02nd December 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan) free from all encumbrances.

HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL : BARMER

DISTRICT : BARMER

STATE : RAJASTHAN

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hec t	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
1	NAGANA	389/324	00	21	59
		413/353(G/L)	00	02	61
		410/345	00	01	69
		347	00	00	90
2	KAU KA KHEDA	474/135	00	02	19
		780/122	00	03	81
TEHSIL : BAITU		DISTRICT : BARMER	STATE : RAJASTHAN		
1	JOGASAR KUVA	612/359	00	01	25
		489/359	00	02	82
		421/336	00	01	94
		576/329	00	06	55
2	BANDATALAR	501/290	00	07	75
		472/289	00	07	94
		619/588	00	35	51
3	CHHITAR KA PAAR	482	00	06	48
4	LAPLA	434	00	01	17

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hec t	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
	LAPLA (Contd..)	742/510	00	16	55
		741/510	00	11	86
5	MAHINGANI MUDHO KI DHANI	421/131	00	07	99
		481/389	00	07	24
		387	00	01	24
6	SANVALSAR	637/437	00	03	86
		602/358	00	11	31
		601/358	00	01	32
7	BAITU CHIMANJI	873/361	00	03	11
		559	00	01	20
		837	00	04	09
		1208/831	00	05	72
8	PADMONI GODARO KI DHANI	815/737	00	08	43
9	KHEMONI MUDHO KI DHANI	863/189	00	04	64
		205	00	03	04
TEHSIL:PACHPADRA		DISTRICT : BARMER	STATE : RAJASTHAN		
1	KHATTU	633/330	00	03	10
		301	00	01	37
		298	00	05	07
		805/297	00	01	26
		1053/297	00	01	00
		792/271	00	06	16
		1133/280	00	01	71
		414/529	00	08	52
		830/415	00	09	05
		438	00	05	61
		461	00	00	80
		In Bet. Khasra No. 463 and 776/464 (G/L Road)	00	01	77
		778/464	00	02	58
		502	00	04	01
		1020/509	00	06	39
2	BADLA	159/80	00	06	50
		151/81	00	06	59
		217/17	00	02	12
3	NIMBLI	421/280	00	02	12
		471/286	00	07	00
		470/286	00	22	87
4	BAGUNDI	512/31	00	00	50
		127	00	00	50
		368/129	00	01	47
		370/129	00	07	40
5	AAKADLI DHANSINH	In Khasra No.374/306 (G/L-Road)	00	02	68

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hec t	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
6	AAKADLI BAKSIRAM	116/79	00	02	45
		121/79	00	10	88
		215/82	00	08	94
		84	00	43	48
		189/84			
		190/84			
		191/84			
		192/84			
		193/84			
		294/68	00	00	40
		267/68	00	33	50
		45	00	23	23
		180/49	00	02	55
		304/34	00	04	38
		306/57	00	13	42
		305/57	00	09	51
7	SAMBHARA	In Khasra No. 28 (G/L - Asp.Road)	00	03	64

[F.No. R-11025/1/2019-OR-I/E-31849]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.